स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 9422

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पटना–15, दिनांक– 30.6.2015

**विषय :– राज्य के लोहार (कमार एवं कर्मकार को नहीं) जाति को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री राम प्रवेश राय एवं अन्य, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा प्राप्त गैर सरकारी सूचना के क्रम में राज्य के अन्य जातियों के साथ कमार (लोहार और कर्मकार) जाति को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने के निमित विभागीय पत्रांक–515 दिनांक–08.11.2004 द्वारा अनुशंसा प्रेषित की गई थी।

2. लोहार जाति के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, बिहार, पटना से प्राप्त इथनोग्राफिक रिपोर्ट के पृष्ठ 451–452/प0 के अनुसार लोहार जाति को अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने संबंधी माँग की जा रही है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व के अनुशंसा को वापस लेते हुए लोहार (कमार एवं कर्मकार को नहीं) जाति को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव राज्य सरकार द्वारा राज्य के कमार (लोहार और कर्मकार) जाति संबंधी पूर्व अनुशंसा को वापस लेते हुए लोहार (कमार एवं कर्मकार को नहीं) जाति को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा की जाती है।

4. उपर्युक्त अनुशंसा मंत्रालय के पत्रांक–12016/13/2001–एस0सी0डी0 (आर0एल0 सेल) दिनांक–29.08.2013 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित है।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 30/6/2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 9422 पटना–15, दिनांक– 30.6.2015

प्रतिलिपि–सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव 30/6/2015

FILE PATH-D/ASHOK SIR LOHAR CAST SAMLEKH